

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मोटा का खेड़ा व भू अभिलेख निरीक्षक चिताम्बा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हाप्पीत्राया, पटवार हल्का मोटा का खेड़ा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2024-2027 में खाता संख्या 69 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	हाप्पीत्राया	69	मोट सिंह पुत्र मान सिंह	मोट सिंह पिता मान सिंह

उपखण्ड अधिकारी (अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा)

दिनांक:- 18/05/2022

क्रमांक:- न्यायालय / 2022 / 104

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मोट सिंह पि० मान सिंह

उपखण्ड अधिकारी (अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा)

2022/453

